165

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1622—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17—08—2006 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 62/निगरानी/2005—06

.....

1— हेतसिंह
2— बलवीर सिंह, पुत्रगण रघुनाथ सिंह
3— रामश्री बेवा रघुनाथ सिंह
निवासी—ग्राम दतहरा, तहसील व
जिला—मुरैना(म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— विजेन्द्र सिंह
2— प्रेमसिंह, पुत्रगण दामोदर सिंह
3— रामरती बेवा दामोदर सिंह
4— दमयन्ती पुत्री दामोदर सिंह, पत्नी राधेश्याम सिंह
निवासी—ग्राम दतहरा तहसील व जिला—मुरैना
5— शकुन्तला पुत्री दामोदर सिंह
पत्नी डॉ0 चरनसिंह
निवासी—ग्राम सेंमरा तहसील व जिला—आगरा, उ0प्र0
6— शिवकुमारी पुत्री दामोदर सिंह, पत्नी देवेन्द्र सिंह
निवासी—गोले का मंदिर, पोस्ट ऑफिस के सामने,
ग्वालियर, म0प्र0
7— कैलाश नारायण पुत्र श्री गौरीशंकर
8— बदन सिंह,
9— बच्चूसिंह, पुत्रगण पंचम सिंह
10— जगन्नाथ सिंह पुत्र मानसिंह तेली
11— भजना पुत्र बुद्धा जाटव
निवासी— ग्राम दतहरा तहसील व जिला—मुरैना,म0प्र0
12— सुशीला पत्नी रजनीकान्त, पुत्री गोपीनाथ शर्मा
निवासी— ग्राम दतहरा तहसील व जिला—मुरैना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 से 6
श्री आर0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2
श्री कैलाश नारायण, स्वयं, अनावेदक क्र0 7

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 12

.....

आदेश

(आज दिनांक 19-9-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/निगरानी/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 17–08–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम दतहरा में स्थित विवादित भूमि जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण तथा अनावेदकगण है । अनावेदकगण ने विचारण न्यायालय में एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत करते हुये अनुरोध किया गया कि खाता सम्मलित होने के कारण कृषि कार्य करने में आयेदिन कठिनायों का सामना करना पड़ता है । अतः बटवारा किया जावे । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/89–90/अ–27 पर दर्ज किया जाकर इश्तहार जारी किये गये । प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा फर्द बटवारा सहमति के आधार पर स्वीकार किया गया तथा दिनांक 08.07.94 को बटवारा का आदेश पारित किया गया। इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष दिनांक 14.11.95 को पेश किया गया । अपील मेमों के साथ अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी पेश किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 08/95–96/अपील माल पर दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 25.05.2001 से प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 08.07.94 को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 107/2000–01/निगरानी माल पर दर्ज किया जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 31.12.2005 द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर, मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष पेश की गई । जहॉ प्रकरण क्रमांक 62/2005–06/निगरानी पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 17.08.2006 से निगरानी स्वीकार

की गई । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदकगण एवं अनावेदक क्र0 1 लगायत 6 सहखातेदार थे, जिसका आपसी विभाजन हो गया, उसी अनुसार काबिज है। उसी के आधार पर तहसील न्यायालय में बटवारा हेतु आवेदन·पत्र संहिता की धारा 178 के अधीन पेश किया गया, जिसका बटवारा नियामों के विपरीत किया गया। फर्द बटवारा बनाई गई, जिस पर आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं कराये गये । अनावेदक क्र0 2 व 3 के सहमति के हस्ताक्षर कर बटवारा नियम विरूद्ध कर दिया गया, जबकि विवादित भूमि आवेदकगण सहखातेदार होते हुये कोई सहमति नहीं ली गई । विचारण न्यायालय द्वारा बटवारा दिनांक 08.07.94 को पारित कर दिया गया । उक्त आदेश दिनांक 25.05.01 से निरस्त कर प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर पारित करने के लिये प्रत्यावर्तित किया गया । उक्त आदेश को अपर कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी गई, जो आदेश दिनांक 31.12.05 से निरस्त कर दी गई एवं अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश से समवर्ती निष्कर्षों को निरस्त किया है । विवादित भूमि के अथिकथित भूमिस्वामी आवेदकगण व अनावेदक क्र0 1 लगायत 6 है एवं विवादित भूमि के सहखातेदार है, जिसमें आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया । आवेदकगण के अधिवक्ता ने तर्क में यह भी बताया कि अनावेदक क्र 2 व 3 के पिता दामोदर सिंह द्वारा कैलाश नारायण को अपने भाग 2 बीघा 2 विश्वा भूमि को विक्रय कर दी गई । इसी प्रकार दामोदर सिंह ने पंचम सिंह के लिये रहननामा 13 विश्वा का कर दिया तथा आवेदकगण के पिता रघुनाथ सिंह ने जगन्नाथ को रहननासमा 1 बीघा 16 विश्वा का कर दिया और नर्मदा पुत्री रामदयाल द्वारा महेन्द्र सिंह पुत्र द्वारा 1 बीघा 2 विश्वा भजना को विक्रय की गई थी तथा सुशीला के नाम 1 बीघा 16 विश्वा भूमि विक्रय की है । इस प्रकार से विक्रय करने के बाद भूमि अन्य सहखातेदार की है । इसमें से हिस्सा विक्रय करने के बाद शेष भूमि अन्य सहखातेदार की है । इसमें से हिस्सा कट करना चाहिये । विचारण न्यायालय ने बिना सुने आदेश पारित किया है । फर्द करते समय मौजा पटवारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, न ही फर्द बटवारा पर सहमति के सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर है । बटवारा फर्द पेश करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकाशन नहीं कराया और न ही सभी पक्षकारों की सहमति ली गई और न ही सहखातेदारों की भूमि अलग किया है । अनावेदक क्र0 1 लगायत 6 ने एक जगह उपजाऊ समतल भूमि को अपने नाम कराया है । यह बटवारा नियमों के

विपरीत है । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया है कि जो फर्द बटवारा प्रस्तुत की गई है, उक्त फर्द पर रामरती व प्रेमसिंह के हस्ताक्षर है, अन्य सहखातेदारों के हस्ताक्षर नहीं है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि बटवारा नियमों का पालन नहीं किया गया । संहिता की धारा 178 के नियम 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि कब्जे को ध्यान में रखकर उपजाऊ कीमती भूमि को भी ध्यान में रखना चाहिये, परन्तु उक्त प्रकरण में बटवारा नियम 27 का पालन नहीं किया गया है । माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मुरैना के समक्ष व्यवहार वाद लंबित है । इसमें कोई अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है, जबकि अपर आयुक्त ने अनावेदक क्र0 1 लगायत 6 को सहखातेदार की भूमि सर्वे क्रमांक 374 रकबा 5 बीघा 16 विश्वा में सभी सहखातेदारों का हक होने से राजस्व न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांक 17.08.06 पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाकर आवेदकगण द्वारा निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ताओं एवं स्वयं कैलाश नारायण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिका को देखने से यह स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा आवेदन पत्र पेश किया गया था । उक्त प्रकरण में आवेदकगण द्वारा पक्ष समर्थन भी किया गया । प्रकरण फर्द बटवचारा पेश हुआ । दुबारा फर्द बटवारा राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया, जिस पर सभी सहखातेदारों की सहमति ली गई और सहमति के आधार पर प्रस्तुत फर्द बटवारा के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया । आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समद्वा अवधि बाह्य अपील पेश की गई, उसके साथ अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया गय । आवेदन पत्र में जो कारण दर्शाये गये हैं, वे मानने योग्य नहीं है, क्योंकि विचारण न्यायालय में आवेदकगण के पूर्वज प्रकरण में उपस्थित होकर पैरवी कर रहे थे । अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित आदेश अंतिम स्वरूप का न होकर अंतरिम स्वरूप का था, जिसके विरूद्ध निगरानी करने का प्रावधान है और अनावेदकगण द्वारा निगरानी पेश भी की गई, किन्तु अपर कलेक्टर, मुरैना द्वारा प्रस्तुत निगरानी को गलत आधार पर निरस्त की गई, जो आधार बताये गये वे विधि के विपरीत है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित विचाराधीन आदेश

किसी भी तरह से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं रह जाता है । जब व्यवहार न्यायालय से प्रकरण का अंतिम निराकरण हो चुका है तब ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालयों को कोई अधिकार नहीं रह जाता है कि वे प्रकरण में आदेश पारित करें । व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 195–ए / 99 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2001 द्वारा अनावेदकगण के हक में निर्णय हो चुका है, जिसमें बटवारा आदेश जो विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है को सही माना है । आवेदकगण को सर्वे क्रमांक 374 रकबा 5 बीघा 16 विश्वा को अनावेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में माना जाकर आवेदकगण को यह आदेशित किया गया कि वे हस्तक्षेप न करें और न ही किसी ओर से करायें । स्पष्ट है कि माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.01 एवं अपर कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 31.12.2005 स्वतः ही दूषित एवं शून्यवत हो जाते है और ऐसे दूषित एवं शून्यवत आदेशों को इस निगरानी में स्थिर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश दिनांक 17–08–2006 से अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित आदेश एवं अपर कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । मैं अपर आयुक्त के आदेश से सहमत हूँ ।

6 / उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–08–2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्त्विहीन होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर